The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 4 | Issue 10 | October 2026
ISSN: 2583-973X (Online), SJIF IF(2026): 5.6
Website: www.theacademic.in

हनुमानगढ जिले में जनसंख्या एवं शिक्षा संबंधी योजनाए : क्रियान्वयन एवं चुनौतियाँ

डॉ. महेश कुमार

सहायक आचार्य भूगोल, श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़

महेन्द्र सिंह

शोधार्थी, श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.24491535

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Received: 26-11-2026

Accepted: 11-11-2026

Published: 20-11-2026

Keywords:

शैक्षिक योजना, मानव बसाव, साक्षरता, मरुस्थलीय धरातल ।

ABSTRACT

जनसंख्या एवं शैक्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख समस्याओं एवं चुनौतियों का विश्लेषण आवश्यक है। हनुमानगढ जिले में जनसख्या प्रतिरूप एवं शैक्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन में बहुत समस्याएं रही हैं जिसमें जिले का विस्तार एवं मरुस्थलीय धरातल प्रमुख प्रभावी कारक है। जिसमें यातायात सुविधाओं का अनुपातिक भाग कम रहा है तथा जनसंख्या के वितरण में विरलता आदि ने अधिक समस्या उत्पन्न की है। जिससे हनुमानगढ जिले में शैक्षिक योजनाओं को सही रूप में क्रियान्वयन करना कठिन रहा है। इस प्रकार अध्ययन से स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में साक्षरता की कमी के अनेक कारण प्रभावी रहे है, जिन्होनें यहाँ साक्षरता में वृद्धि नहीं करने दी। इसके लिए जिले की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की मरूस्थलीय स्थिति तथा वर्षा की कमी रही है। जिससे यहाँ कृषि तथा कृषि आधारित व्यवसायों की कमी रही है तथा इनके कारण यहाँ मानव बसाव तथा जनसंख्या प्रवास आदि ने प्रभावित किया है। अतः इस जिले की साक्षरता तथा मानव बसाव की अनुकूलता के लिए इस क्षेत्र को अन्य जिलों व नगरों की भाँति विकसित करने की आवश्यकता है। जिससे यहाँ साक्षरता की स्थिति में सुधार किया जा सकता है और जिले के सर्वांगीण विकास के लिएउ अग्रसर करना आवश्यक है।

अध्ययन क्षेत्र की साक्षरता स्थिति

साक्षरता को आर्थिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण निर्धारक माना जाता है। अतः अध्ययन क्षेत्र में अवस्थित हनुमानगढ़ जिले की साक्षरता स्थिति का तुलनात्मक विवरण तालिका 1.1 एवं रेखाचित्र 1.1 में दर्शाया गया है।

Disclaimer: The opinions, interpretations, conclusions, recommendations, analyses, and statements expressed in this research article are solely those of the author(s) and do not reflect the views, policies, or positions of the Publisher, Chief Editor, Editors, Editorial Board, Reviewers, or their affiliated institutions. The author(s) are solely responsible for ensuring the originality, authenticity, and integrity of the manuscript and for ensuring that it is free from plagiarism, AI-generated content, copyright infringement, data falsification, and any other form of academic misconduct.

तालिका 1.1 हनुमानगढ़ जिले की साक्षरता दर (प्रतिशत) 2001 एवं 2011

जिला/राज्य	साक्षरता दर (प्रतिशत)	
	2001	2011
हनुमानगढ़	63.05	67.13
राजस्थान	60.41	66.11

स्रोत– जनगणना 2011

तालिका 3.9 में साक्षरता के आंकड़ों पर एक नजर डाले तो जनगणना 2001 के अनुसार देश में जहां साक्षरता दर 64.8 प्रतिशत भी वहीं राजस्थान में 60.41 प्रतिशत थी। इसी प्रकार श्रीगंगानगर जिले की साक्षरता की दर 64.74 प्रतिशत एवं हनुमानगढ़ जिले की साक्षरता दर 63.05 प्रतिशत थी। जनगणना 2011 के अनुसार इस स्थिति में बदलाव हुआ और राजस्थान की साक्षरता दर 60.41 से बढ़कर 66.11 प्रतिशत हो गई। यह बदलाव जिलों में भी दिखाई पड़ा और श्रीगंगानगर जिले की साक्षरता दर बढ़कर 69.64 प्रतिशत एवं हनुमानगढ़ जिले की साक्षरता दर बढ़कर 67.13 प्रतिशत हो गयी। उक्त दस वर्षो की अवधि में देश की साक्षरता दर 12.65 प्रतिशत बढ़ी जबकि राज्य की साक्षरता दर 8.62 प्रतिशत बढ़ी। इसी प्रकार दस वर्षो में श्रीगंगानगर जिले की साक्षरता 7.5 प्रतिशत एवं हनुमानगढ़ की साक्षरता 6.47 प्रतिशत बढ़ी।

रेखाचित्र 1.1 रू हनुमानगढ़ जिले की साक्षरता दर 2001 एवं 2011

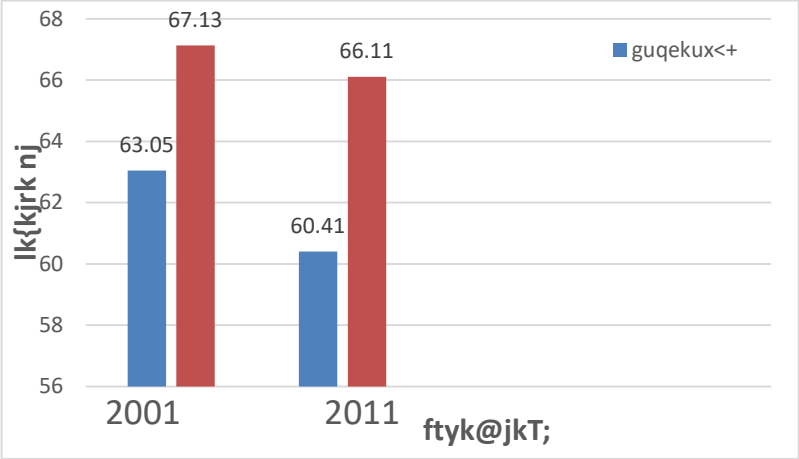

अध्ययन क्षेत्र की महिला–पुरूष साक्षरता

साक्षर व्यक्ति किसी कार्य को ज्यादा सफलतापूर्वक करते है, क्योंकि साक्षर व्यक्तियों का ज्ञान एवं विवेक निरक्षर व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होता है। प्रायः देखा जाता है कि साक्षर परिवार निरक्षर परिवारों के मुकाबले ज्यादा सम्पन्न प्रतीत

होते है क्योंकि वर्तमान में शिक्षा भी एक व्यवसाय का रूप धारण कर चुकी है। इसके लिए व्यक्ति का कुशल एवं ज्ञानवान होना अति आवश्यक है। साक्षरता स्थिति को लिंगानुसार देखा जाना महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि प्रायः ऐसा माना जाता है कि पुरूष साक्षर होंगे तो एक पीढ़ी साक्षर होगी जबकि महिला साक्षर होगी तो सात पीढ़ी साक्षर होगी। इसलिए साक्षरता का लिंगानुसार विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। इस हेतु तालिका 1.2 में हनुमानगढ़ जिले की लिंगानुसार साक्षरता स्थिति का तुलनात्मक विवरण किया गया है।

जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता की स्थिति को देखे तो देश में पुरूष साक्षरता दर 80.90 प्रतिशत रही है। इसके आसपास ही राजस्थान तथा इसके थोड़ा कम हनुमानगढ़ जिले की साक्षरता दर रही है। इसी प्रकार महिलायों की साक्षरता दर स्थिति को देखे तो देश में महिला साक्षरता दर 64.60 प्रतिशत रही है जबकि राज्य में यह 52.12 प्रतिशत रही है। अध्ययन क्षेत्र में साक्षरता की लिंगानुसार स्थिति देखे तो हनुमानगढ़ जिले की महिला साक्षरता दर 55.84 प्रतिशत रही है। इस प्रकार पुरूषों की तुलना में महिलायों की साक्षरता दर कम दिखाई पड़ती है। शिक्षा के बेहतर विकास के लिए महिला शिक्षा के क्षेत्र में अधिक कार्य करने की जरूरत है। अध्ययन क्षेत्र की महिला–पुरूष साक्षरता का तुलनात्मक विवरण तालिका 1.2 एवं 1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2 रू हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों की महिला–पुरूष साक्षरता दर 2011

जिला/राज्य	साक्षरता दर (प्रतिशत)		
	कुल	पुरूष	महिला
हनुमानगढ़	67.13	77.41	55.84
राजस्थान	66.11	79.19	52.12

स्रोत– जनगणना 2011

रेखाचित्र 1.2 रू हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों की महिला–पुरूष साक्षरता दर 2011

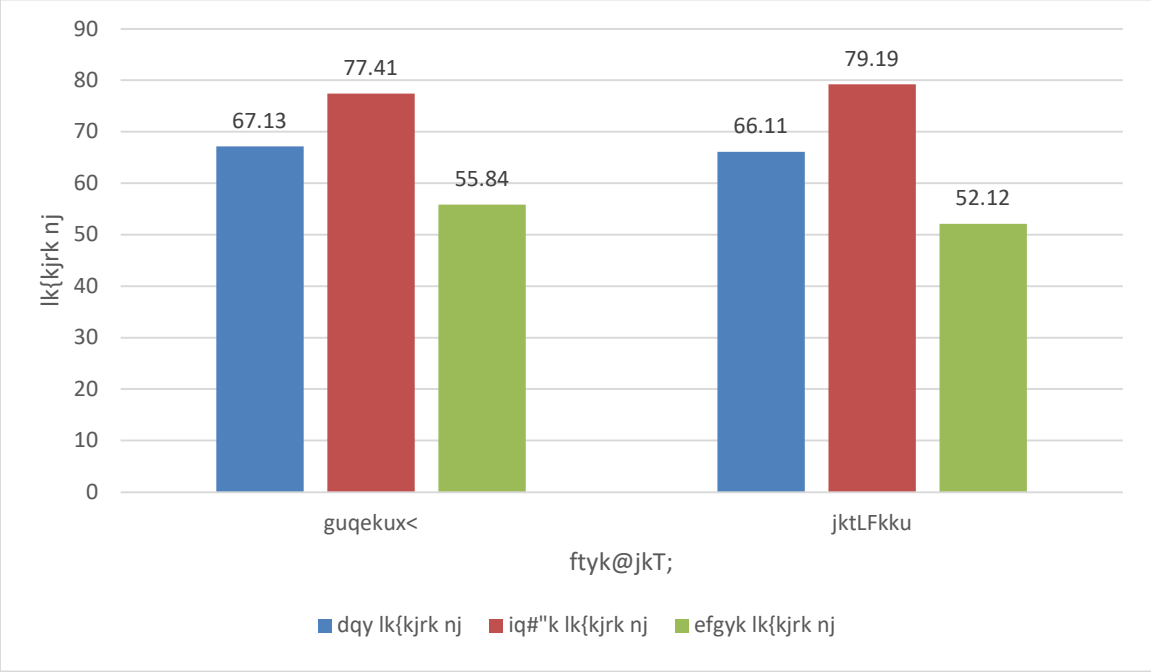

1. **प्राथमिक शिक्षा और योजनाएं** – इस योजना के अनुसार संविधान लागू होने से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राज्यों को दायित्व दिया था। लेकिन यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ और वर्ष 2000 तक 6–14 आयु समूह में लगभग 67 प्रतिशत बच्चों को ही शिक्षा का प्रावधान हो सका तथा इसमें वंचित बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा, शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास किया। इसके लिए 9 वीं पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो गई जिसमें 6 से 14 आयु वर्ग के बीस करोड़ बच्चो में लगभग 6 करोड बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे थे। इनमें अधिकांश क्षेत्र ऐसे थे जहाँ 1 किलोमीटर के अंदर शिक्षा सुविधा नहीं थी। इसके सुधार के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में सुधार के प्रयास किये गये।

2. **सबको शिक्षा सुलभ कराना** – शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1990 में "सबके लिए शिक्षा" की घोषणा की गई तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आधारभूत शिक्षा के सभी पक्षो की ओर गया। इसका प्रभाव भारतीय शिक्षा प्रणाली पर भी पड़ा जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में संशोधन शिक्षा को बच्चों का मूलभूत अधिकार बनाने संबंधित संविधान (86 वॉ संशोधन) अधिनियम 2002 आदि। जबकि अन्य योजनाएं प्रभावी रही है।

3. **दोपहर का भोजन मिड–डे–मील कार्यक्रम** – साक्षरता में वृद्धि करने तथा प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 15 अगस्त 1995 से दोपहर का भोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। जिसकी प्रेरणा तमिलनाडु राज्य से प्राप्त हुई जहाँ विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए यह योजना प्रारंभ की। जिससे साक्षरता का स्तर बढ़ाने में सहयोग भी मिला। यह योजना बाड़मेर जिले में अभी चालू है। जिसका उद्देश्य जिले में प्राथमिक शिक्षा स्तर को बढ़ाना

व साक्षरता दर में वृद्धि करना है, जिसमें बच्चों के शिक्षा पर अधिक व्यय करना है। इसमें पिछड़े क्षेत्र व गरीब बच्चों पर विशेष ध्यान देने का प्रावधान है।

4. **औपचारिक शिक्षा** – वर्ष 1979–80 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा शुरू की गई जिसमें बच्चे विभिन्न कारणों से औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं हुए । उनके लिए इस कार्यक्रम में शैक्षिक रूप से पिछड़े 10 राज्यों में अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। अब इस योजना को औपचारिक शिक्षा का व्यावहारिक विकल्प बनाने के लिए शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा के रूप में चलाया जा रहा है। इसका सीमा क्षेत्र 1 किलोमीटर रखा है।

5. **शिक्षाकर्मी योजना** – यह योजना स्वीडन की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से वर्ष 1987 से चलाई गई, जिसका उद्देश्य राजस्थान के दूरदराज के क्षेत्रों तथा सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े गांव में प्रारंभिक शिक्षा सबको सुलभ कराना तथा उसका गुणात्मक सुधार करना था। जिसका खर्च स्वीडन एजेंसी एवं राजस्थान सरकार (90 रू 10) वहन करती है। इसका व्यय जून 1998 में दूसरे चरण में (50 रू 50) खर्च यानि समान हो गया। अब यह योजना ब्रिटेन के सहयोग से चल रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना तथा साक्षरता में वृद्धि करना है।

6. **लोक जुंबिश** – यह राजस्थान में स्वीडन की इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सहयोग से सभी के लिए शिक्षा सुलभ बनाने की दृष्टि से उक्त योजना शुरू की गई। पहला चरण जून 1992 से जून 1994 तक रहा तथा तीसरा चरण 2004 तक पूरा हुआ। भारत में साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत की उन्नति एवं विकास के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में आज भी लगभग 27 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर हैं। अतः यहाँ प्राथमिक शिक्षा बहुत दयनीय रही है जिसका प्रभाव साक्षरता दर पर भी रहा है तथा साक्षरता कमी के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दुष्प्रभाव भी प्रकट होते हैं। जिससे व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय प्रगति बहुत प्रभावित होती है, यहाँ साक्षरता कमी के दुष्प्रभाव अधिक प्रभावी रहे है।

साक्षरता की कमी के दुष्प्रभाव – अध्ययन क्षेत्र हनुमानगढ जिला प्राकृतिक ससांधनों में पिछड़ा हुआ है तथा भौगोलिक दशाएं एवं धरातलीय विषमता के कारण यहाँ साक्षरता की कमी रही है जिसके प्रभाव भी प्रकट हुए हैं जो निम्न प्रकार हैं–

1. **आर्थिक दुष्प्रभाव**

प्राथमिक आय पर प्रभाव– व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न होता है जिससे उसका जीवन यापन कठिन हो जाता है तथा आर्थिक विकास में सहयोग नगण्य रहता है। यहाँ गरीबी का स्तर निरन्तर गिरता ही रहता है।

रोजगार की प्राप्ति पर प्रभाव – साक्षरता कम होने की स्थिति में व्यक्तियों को रोजगार की प्राप्ति अपेक्षाकृत कम होती है या फिर शारीरिक मेहनत के कारण इनका जीवन काल घटता रहता है। योजनाओं के लाभ से वंचित– कुछ सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिलता है, क्योंक कम साक्षरता वाले व्यक्ति को इनकी समझ कम होती है तथा यह इसको समझने में सक्षम नहीं होते हैं तथा इनका स्तर गरीबी का ही बना रहता है।

आर्थिक लेनदेन में कमी – साक्षरता की कमी के कारण व्यक्ति आर्थिक लेन–देन (दैनिक हिसाब) में कम समझते हैं। जिससे रोजगार, श्रम, मजदूरी, खर्च आदि में कमी रहती है तथा यह किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित रहते हैं। जिससे इनको आर्थिक लाभ कम होता है और लंबी अवधि में यह हिसाब भूल जाते हैं। आर्थिक अन्य लेखा–जोखा रखने में कमी– कम साक्षरता वाले व्यक्ति आर्थिक लिखाई पढ़ाई करने में कमजोर रहते हैं जिसे यह किसी अन्य व्यक्ति से लिखा पाते हैं जो कई बार हानि भी कर देते हैं या इस लिखाई को पहचानने में असमर्थ भी होते हैं। जिसका आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

रोजगार/कार्य प्राप्ति में बाधा– साक्षरता कमी के कारण वर्तमान समय में संचार व्यवस्था का आधुनिकीकरण, नगरीकरण के कारण इन व्यक्तियों का अकेला पहुंचना या संवाद करना कठिन है क्योंकि आज के समय में परिवहन से संबंधित महानगरों में संकेत मोबाइल पर पढ़ जाते है जिसके लिए साक्षर जरूरी होता है। ये दिन भर घूम कर भी उचित स्थान पर नहीं पहुंच सकते हैं और न ही संवाद कर सकते ऐसे में रोजगार की प्राप्ति कम होती है। इस प्रकार साक्षरता की कमी के अनेक आर्थिक दुष्प्रभाव हैं जो कम साक्षर व्यक्तियों को भुगतना पड़ता है।

2. **सामाजिक दुष्प्रभाव** – आधुनिक शिक्षा प्रणाली में काफी बदलाव हुए हैं जिससे साक्षरता की कमी वाले व्यक्तियों को सामाजिक दुष्प्रभाव भी झलने पड़ते हैं। यह इस प्रकार हैं–

बोलचाल पर प्रभाव– साक्षरता की कमी वाला व्यक्ति अपनी स्थानीय भाषा बोलता है जो मान्यताओं के अनुसार कम स्तर वाली होती है तथा साक्षरता की अधिकता वाले व्यक्ति शुद्ध बोलचाल का प्रयोग करता है, तब वह अपनी कमजोरी समझता है और बोलचाल कम कर देता है। जो सामाजिक स्तर को घटती है।

सामाजिक स्तर में कमी– किसी परिवार या क्षेत्र में साक्षरता कम रहती है तो वह अन्य समाज के व्यक्तियों के साथ समानता नहीं रखता तथा वह कई कार्यों जैसे – विवाह, रिश्ते नातों, सामाजिक पदो आदि में बराबरी नहीं कर सकता और न हीं वह उन सामाजिक लेखों वचनों आदि को ही समझ सकता है, जिससे उसके सामाजिक स्तर में कमी होती है।

सामाजिक स्तर पर प्रभाव – शिक्षा/साक्षरता सामाजिक रिश्तो में वृद्धि करती है। जबकि साक्षरता की कमी वाले व्यक्ति परिवार क्षेत्र में शादी विवाह के साथ अन्य सामाजिक रिश्तो का बनाना आसान नहीं होता है और वह व्यक्ति क्षेत्र इन रिश्तो से दूर हो जाता है।

सामाजिक विकास पर प्रभाव – किसी भी क्षेत्र, व्यक्ति के कम साक्षर होने पर वह क्षेत्र संचार यातायात परिवहन एवं अन्य सामाजिक सुविधाओं के साथ आधारभूत सुविधाओं से वंचित रहता है।

सामाजिक परिवर्तन का अभाव– कम साक्षरता का क्षेत्र समाज सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा नहीं समझ सकता है तो फिर वह सामाजिक परिवर्तन कैसे करेगा और यदि करता भी है उस स्तर का नहीं कर सकता जो एक उच्च साक्षर व्यक्ति क्षेत्र द्वारा किया गया है।

सामाजिक सुधारों की जानकारी की कमी– साक्षरता कम होने पर किसी परिवार या व्यक्ति को सामाजिक सुविधाओं की जानकारी करना कठिन होता है और वह परम्परागत वादी विचारधारा से ही जुड़ा रहता है।

3. **राजनीतिक प्रभाव** – साक्षरता की कमी के कारण राजनीतिक प्रभाव पड़ते हैं जिससे साक्षरता की अधिकता वाले क्षेत्र, व्यक्ति अधिक लाभ प्राप्त करते हैं जो इस प्रकार हैं–

- चुनाव में उचित व्यक्ति का चयन करने के लिए एक दूसरे का सहयोग लेते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिल जाते हैं।
- कम साक्षर व्यक्ति सत्ता परिवर्तन के लिए जागरूक नहीं रहता है। वह कुछ ही बातों में आकर रह जाता है और सत्ता परिवर्तन नहीं होती है।
- मतदान में अपना विवेक लगाते हुए भी कुछ व्यक्तियों की अफवाहों में आ जाता है तथा मतदान विवेक से नहीं कर पाता है।
- समाचार–पत्रों एवं वायदे पत्रों आदि पर एक दूसरे व्यक्ति के कहने पर विश्वास कर लेते हैं। समाचार की खबरों को कुछ इधर–उधर कर बताने पर सही मान लेते हैं।
- हस्ताक्षर नहीं करने और साक्षर नहीं होने के कारण कई बार व्यक्ति झूठी शर्तों पर अपना अंगूठा लगा देता है और उसका मतलब भी नहीं समझता है। कई बार धोखे से शिकायतों पर ऐसा कार्य हो जाता है।
- राजनीतिक सुधारों योजनाओं से वंचित रह जाता है। जिससे उन्हें सरकारी लाभ इंदिरा आवास, पशु लोन, सब्सिडी आदि का लाभ नहीं मिल पाता है।

अतः साक्षरता के अनेक दुष्प्रभाव रहे हैं जो अध्ययन क्षेत्र में भी मौजूद हैं तथा इनका समाज में परेशानी का सामना करना पड़ता है जिसमें आवश्यकता वाले व्यक्ति इंतजार करते हैं और साक्षर या चतुर व्यक्ति इनका लाभ समय पर प्राप्त करते हैं। अतः हनुमानगढ़ जिले में साक्षरता की योजनाएं चलती रही हैं। लेकिन इनका लाभ नहीं मिला है इनकी समस्या भी रही है तथा समस्याएं व्यापक स्तर तक प्रभावी रही है। जो साक्षर के लिए भी बाधा का कार्य कर रही है। अतः यह साक्षरता के क्रियान्वयन की समस्याओ को भी विश्लेषित करना आवश्यक है।

साक्षरता में कमी के कारण – यहाँ साक्षरता की कमी रही है यह क्षेत्र साक्षरता की न्यून दर वाल क्षेत्रों में सम्मिलित रहा है। यहाँ साक्षरता की कमी के कारण निम्न रहे है–

प्राथमिक शिक्षा की कमी– यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा की कमी रही है जिससे साक्षरता कम रही है। इसे यहाँ के सामाजिक स्वरूप ने प्रारम्भ से ही स्वीकार नहीं किया है इसमें स्त्री शिक्षा और भी अधिक खराब रही है। **शिक्षा केन्द्रों की दूरी** – यहाँ का प्राकृतिक धरातल मरूस्थलीय तथा बालू रेत के टिब्बे युक्त है जिनकी ऊंचाई कहीं कहीं 100 मीटर से अधिक है जो शिक्षा केन्द्रों की दूरी को अधिक करते है। इससे साक्षरता दर यहाँ कम रही है।

शिक्षा की उदासीनता – यह क्षेत्र पिछड़े क्षेत्रों में है जो हाल ही में भी बोली भाषा रहन–सहन परम्परागत है। जो शिक्षा के प्रति भी उदासीन है। जिससे यहाँ आज भी साक्षरता कम रही है।

गरीबी– यहाँ के अधिकांश व्यक्ति पशुपालन से अधिक जुड़े है। जो शिक्षा की ओर ध्यान ही नहीं देते है। क्योंकि पशुपालन में प्रतिदिन व्यक्ति पशुओं की सुरक्षा देख–रेख में ही लगा रहता है। यहाँ के व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर है। पशुओं के साथ घुमक्कड़ जीवन से भी जुड़े रहते है।

कृषि का स्थायी नहीं होना– यहाँ की कृषि पूर्णतः मानसून पर आधारित है। जिस वर्ष वर्षा कम होती है ये कृषि कार्य को त्याग कर शहरों की ओर पलायन करते है। यह भी साक्षरता के लिए समस्या ही रही है। जिससे यहाँ की साक्षरता कमजोर रही है।

जनसम्पर्क की कमी– यहाँ अधिवासो की दूरी अधिक होने तथा आवागमन की कमी के कारण आपसी सहयोग एवं मार्गदर्शन के अभाव में साक्षरता में कमी रही है। तथा ये अधिवास धरातलीय प्रतिबन्धों में भी बंधे हुए है। जिसम मरूस्थलीय स्वरूप प्रमुख है।

मानव बसाव की प्रतिकूलता– यह क्षेत्र आधारभूत सुविधाओं से वंचित रहा है। जिसमें मानव बसाव अनुकूलता की कमी रही है इनमें पेयजल की कमी, समतल धरातल, नदी मैदानों का अभाव, यातायात सुविधाओं की कमी आदि ने साक्षरता की वृद्धि में सहयोग नहीं दिया है।

रोजगार के असवरों की भारी कमी– यह जिला कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग, व्यापारिक क्षेत्र, पारिवारिक उद्योग आदि की दृष्टि से भी कमजोर रहा है और यहाँ पर बड़े उद्योग धन्धे, कार्यालय नहीं होने से रोजगार प्राप्त नहीं हुआ। जिससे यहाँ जनसंख्या बसाव में वृद्धि नहीं हुई है तथा अन्य क्षेत्रों के व्यक्ति यहाँ पर आ कर नहीं बसे हैं। जिससे भी साक्षरता में कमी रही है।

इस प्रकार अध्ययन से स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में साक्षरता की कमी के अनेक कारण प्रभावी रहे है, जिन्होने यहाँ साक्षरता में वृद्धि नहीं करने दी। इसके लिए जिले की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की मरूस्थलीय स्थिति तथा वर्षा की कमी रही

है। जिससे यहाँ कृषि तथा कृषि आधारित व्यवसायों की कमी रही है तथा इनके कारण यहाँ मानव बसाव तथा जनसंख्या प्रवास आदि ने प्रभावित किया है। अतः इस जिले की साक्षरता तथा मानव बसाव की अनुकूलता के लिए इस क्षेत्र को अन्य जिलों व नगरों की भाँति विकसित करने की आवश्यकता है। जिससे यहाँ साक्षरता की स्थिति में सुधार किया जा सकता है और जिले के सर्वांगीण विकास के लिएउ अग्रसर करना आवश्यक है।

साक्षरता वृद्धि के उपाय –

हनुमानगढ जिला कम साक्षरता वाले जिलों में शामिल है, जिले में साक्षरता के भावी उपायो की आवश्यकता है, जिससे यहाँ की साक्षरता दर उच्च श्रेणी वाले क्षेत्रों/जिलों के साथ सम्मिलित हो सके। अतः इस क्षेत्र के लिए निम्न भावी उपायों की आवश्यकता है:–

प्राथमिक शिक्षा में वृद्धि – जिले में साक्षरता की वृद्धि के लिए आवश्यकता है कि यहाँ प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि करना चाहिए ताकि साक्षरता में वृद्धि होगी। इसके लिए ग्राम, ढाणी, छोटे अधिवास क्षेत्र आदि तक प्राथमिक शिक्षा को पहुंचाना चाहिए चाहे यह किसी भी क्षेत्र में हो तथा स्थानीय व्यक्तियों को इसकी वृद्धि के लिए जोड़ना आवश्यक है।

साक्षरता योजनाओं को स्थानीय व्यक्तियों से जोड़ना – जिले की भौगोलिक एवं धरातलीय प्रकृति के अनुसार यहाँ साक्षरता के विकास के लिए स्थानीय व्यक्तियों को विशेषतः स्त्री वर्ग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे यहाँ साक्षरता में वृद्धि होने में आसानी होगी।

साक्षरता योजना का विस्तार करना– जिले के क्षेत्रीय विस्तार के अनुसार तथा इसकी लम्बाई, चौड़ाई के अनुसार साक्षरता योजनाओं का विस्तार होना चाहिए अर्थात यह जिला क्षेत्रफल में देश के पांच राज्यों से बड़ा है। तो यहाँ साक्षरता योजनाओं का विस्तार भी इन राज्यों से अधिक ही होना आवश्यक है जिससे साक्षरता में वृद्धि होगी।

समाज की चेतना जागृत करना – यहाँ सामाजिक स्वरूप में ग्रामीण ढाँचा तथा पिछडे क्षेत्रों में सामाजिक परम्पराओं से जुड़ा हुआ है, इनमें शिक्षा के प्रति चेतना जागृत करना आवश्यक है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता के अन्तर्गत विकास होगा तथा जिले में साक्षरता की वृद्धि होगी।

साक्षरता को रोजगार से जोड़ना – सरकारी छोटी योजनाओं में रोजगार के लिए साक्षरता को जोड़ना आवश्यक है तथा जहाँ मनरेगा जैसे कार्यक्रमों में विस्तार हो तथा यहाँ कुछ समय पढ़ाई लिखाई भी करायी जावे ताकि यहाँ साक्षरता में निश्चित वृद्धि होगी।

नवीन योजना तैयार कर लागू करना– जिले में साक्षरता की वृद्धि करने के लिए नवीन योजनाओं को तैयार करना चाहिए जिसमें जच्चा–बच्चा योजना की भाँति, साक्षर योजना को नवीन साक्षरता योजना के नाम से चलाया जाये। जिसमें वास्तविक निरक्षर व्यक्ति का चयन किया जाये तथा नजदीक ही किसी स्थान पर उसे पढ़ने या साक्षर होने के लिए पंजिकरण किया जाय तथा इसे प्रति घंटा के अनुसार कुछ भुगतान, खाद्य सामग्री, वस्त्र, वस्तुओं से जोड़ना चाहिए ताकि इसी कार्यक्रम से इन्हें साक्षर किया जाये।

यातायात सुविधाओं का विकास– साक्षरता दर के विकास के लिए जिले की यातायात सुविधाओं का विकास करना चाहिए जिसमें यह विकास प्रत्येक ढाणी या ग्राम तक आवश्यक है, तथा 10 से 20 घरों में भी यह सुविधा होनी चाहिए ताकि इनका सहयोग साक्षरता के विकास में सम्भव हो सके और जिले में साक्षरता दर में वृद्धि हो सके।

विशेष संस्थानों या शिक्षा केन्द्रों की स्थापना – इस जिले के विकास के लिए तथा साक्षरता की वृद्धि के लिए यहाँ राज्य या केन्द्र सरकार के शैक्षिक संस्थान या कार्यालय स्थापित हो ताकि यह जिला चहुंमुखी विकास के क्षेत्र में व्यापक क्षेत्र बना सके तथा यहाँ साक्षरता की वृद्धि निश्चित ही होगी।

अतः इस प्रकार अध्ययन से स्पष्ट है कि जिले में साक्षरता की वृद्धि के लिए उक्त उपाय करने की आवश्यकता है जिससे यहाँ विकसित करना चाहिए ताकि इस क्षेत्र का विकास हो तथा साक्षरता की दर भी बढ़ेगी तथा जिले का नाम राज्य एवं देश में पहचान बनेगी जो यहाँ के मानव जीवन को जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में उच्च बनाया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. अग्निहोत्री, रवीन्द्र (2013) आधुनिक भारतीय शिक्षाः समस्या और समाधान, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ. 123–125
2. वर्मा, जे. पी. (2013) शैखिक प्रबन्धन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ. 163–185
3. महावर, गोपीलाल व प्रसाद, रामा (2001) राजस्थान में साक्षरता का भौगोलिक विश्लेषण (अंक 37/स.पि.) उत्तर भारत भूगोल पत्रिका प्रोफेसर राजा लोचन सिंह स्मृति अंक, पृ. 11–13
4. मौर्य, एम. डी. (2005) जनसंख्या भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृ. 365–367
5. शर्मा, एच. एस., शर्मा, एम. एल. (2006) रास्थान का भूगोल, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पृ. 320–323